

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश

27-28, निर्माण भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)

Website : www.mppwd.gov.in

Email : pwdbhop@mp.nic.in

Tel. No.-0755-2551485 Fax No.- 0755-2556527

क्रमांक/लोनिवि/2016/ सर्कुलर/संचार/ 619

भोपाल दिनांक 26-02-2016

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता/
समस्त अधीक्षण यंत्री/
समस्त कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय:- मार्गों के प्राक्कलनों में विद्युत पोल शिफ्टिंग एवं वृक्षों की कटाई के संबंध में दिशा-निर्देश।

--00--


यह पाया गया है कि सड़कों के निर्माण/उन्नयन के कार्यों में विद्युत पोल शिफ्टिंग हेतु काफी अधिक राशि के प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि सड़क कार्यों को संपादित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि विद्युत पोल की शिफ्टिंग यथासंभव कम से कम राशि में की जा सके। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. केवल उन्हीं विद्युत पोल्स को हटाने का प्रावधान प्राक्कलन में रखा जाये जो मार्ग की फार्मेशन चौड़ाई में आ रहे हैं। उदाहरणार्थ इंटरमीडियेट लेन के कार्यों में जहां फार्मेशन विड्थ सामान्यतः 10 मीटर है केवल ऐसे पोल हटाये जायें जो सेन्टर लाईन से 5 मीटर से कम की दूरी पर हों। इसी प्रकार टूलन के कार्यों में जहां फार्मेशन विड्थ 11 मीटर है वहां यह दूरी 5.50 मीटर होगी। इसी प्रकार सिंगल लेन एवं फोरलेन के कार्यों में भी फार्मेशन के बाहर के पोल जो एम्बेकमेंट के स्लोप में आ रहे हैं उन्हें हटाये जाने की आवश्यकता नहीं है।
2. आबादी क्षेत्रों में क्रमांक-1 पर उल्लेखित सिद्धांत लागू नहीं होगा। सड़क की ऐसी लम्बाई जो आबादी क्षेत्र से होकर गुजरती है में विद्युत पोल की शिफ्टिंग के संबंध में कार्यपालन यंत्री सिविल एवं इलेक्ट्रिकल निरीक्षण कर विद्युत पोल्स को हटाये जाने के संबंध में निर्णय लेंगे, जिससे कि क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के समुचित उपभोग एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
3. जिन स्थानों पर भी विद्युत लाईन ओवरहेड है, वहां आवश्यक रूप से यूटिलिटी डक्ट दी जायें जिससे कि ओवरहेड लाईन क्रॉसिंग को हटाकर केबल के माध्यम से अप्ण्डर ग्राउण्ड रोड क्रॉसिंग किया जा सके।
4. कई स्थानों पर ऐसा भी संभव है कि काफी लम्बाई में विद्युत पोल फार्मेशन विड्थ के ऊपर शोल्डर में ऐज पर आ रहे हों। उदाहरण के लिये यदि काफी संख्या में विद्युत पोल 10 मीटर फार्मेशन के केस में सेन्टर लाईन से 4.50 मीटर की दूरी पर हैं तो ऐसी स्थिति में सभी पोल्स को हटाने के स्थान पर इस बात का भी परीक्षण कर लिया जाये कि क्या इस लम्बाई में मार्ग की सेन्टर लाईन 0.50 मीटर दूरी ओर शिफ्ट की जा सकती है। इससे पोल्स की शिफ्टिंग पर होने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा।

9

5. यह भी देखने में आया है कि अनेक कार्यों पर वृक्षों की कटाई हेतु भी सक्षम अधिकारी से अनुमति ली जाकर पेड़ काटने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें भी फार्मेशन से बाहर के वृक्षों की कटाई, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में, जबकि वृक्ष रोड सेप्टी में साईट डिस्टेंस के मान से बाधा उत्पन्न करता हो, ही की जाये एवं सामान्यतः क्रमांक-1 से क्रमांक-4 तक उल्लेखित विद्युत पोल के संबंध में उल्लेखित सिद्धांत का ही उपयोग इस हेतु किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता


लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26-02-2016

पृ. क्रमांक/लोनवि/2016/ सर्कुलर/संचार/ 620

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. अधीक्षण यंत्री (वि/यां) कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल। कृपया विद्युत लाईन शिफ्टिंग हेतु तैयार किये जाने वाले प्राक्कलनों के संबंध में उपरोक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री (वि/यां) लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश। कृपया सिविल संभागों के कार्यपालन यंत्रियों से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुये विद्युत लाईन शिफ्टिंग हेतु प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित करें।
5. वरिष्ठ निज सहायक, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल।


(इंजी. अखिलेश अग्रवाल)

प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश